

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

11-07-2024
15-7-24 File No 15-7-24
Serial No 23
15-7-24

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28
जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

S.O. AKA-1

11-07-2024
JK Adulk Misc

2/-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasan.ups.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय
अनु सचिव।

Reg. No. 15-7-1911a No. IVF-82
Serial No. 24
AS
15724

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

सेवा में,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. सम्स्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. सम्स्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. सम्स्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के आपेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे सम्स्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

A RAC (C-1)

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेंनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

1. यह शासनदेश एलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनदेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-
- (1) विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।
 - (2) उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।
 - (3) जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।
 - (4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।
 - (5) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।
 - (6) ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।
- 6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश को प्रमाणिकता देव साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।